

केन्द्रीय सूचना आयोग  
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन  
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.  
\*\*\*\*\*


दिनांक: 17.04.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/123  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00117  
अपीलकर्ता : श्री हुलास महतो,  
ग्राम - कटिया, पो0 - कोतो पीटीपीएस,  
जिला - रामगढ़,  
झारखंड - 829119.

निर्णय की तारीख: 17.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	सूचना प्रदान नहीं की गई
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	---
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	120931/28.03.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	107/29.03.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपील/शिकायत सं. CIC/LS/C/2012/000642 से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश सूचना आयुक्त (एस.बी.) के उप-पंजीयक को अग्रसारित कर दिया गया है, जबकि इसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना चाहिए था। अतः श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को आर.टी.आई. आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता का आर.टी.आई. पंजीकृत (रजिस्टर) किया जाए एवं नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

  
(आर. के. सिंह)  
अपर सचिव एवं  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

